न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15 / 94 / 2023	30.10.2023	12.06.2024

1. पंजाब नेशनल बैंक, सर्कल सस्त्र विभाग, सर्कल ऑफिस अलवर, हर्षित टॉवर 29, नारू मार्ग अलवर।

प्रार्थी

बनाम

2. कमलेश कुमार शर्मा पुत्र मुरलीधर, पता– फ्लेट नं0 7 B 27 सेक्टर नं0 4 एवं 7 अरावली विहार, भिवाडी तहसील टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

––:: निर्णय ::––

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक, सर्कल सस्त्र विभाग, सर्कल ऑफिस अलवर, हर्षित टॉवर 29, नारू मार्ग अलवर की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसमें निवेदन किया गया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी को दिनांक 04.09.2015 को 4,50000/–रू. (अक्षरेन चार लाख पचास हजार रूपये मात्र) का ऋण प्रदान किया था। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर साम्यिक बन्धक सम्पत्ति फ्लेट नं0 7 B 27 सेक्टर नं0 4 एवं 7 अरावली विहार, भिवाडी तहसील टपूकडा स्थिति भूमि/भवन अन्तर्गत स्वामित्व कमलेश कुमार शर्मा पुत्र मुरलीधर प्रार्थी बैंक के समक्ष बन्धक रखी गई है।अप्रार्थी द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक बैंक द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत पंजीकृत नोटिस मियादी 60 दिन दिनांक 26.05.2021 भेजा गया परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी बैंक को नहीं की। बैंक ने उपरोक्त परिसम्पत्ति को नो परफोमिंग एसेट्स घोषित कर दिया है। जिससे बैंक के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति फलेट नं0 7 B 27 सेक्टर नं0 4 एवं 7 अरावली विहार, भिवाडी तहसील टपूकडा स्थिति भूमि/भवन अन्तर्गत स्वामित्व कमलेश कुमार शर्मा पुत्र मुरलीधर का कब्जा लेने का अधिकार बैंक को है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है, कि प्रार्थी बैंक ने नियमानुसार दिनांक 26.05.2021 को धारा 13 (2) के तहत नोटिस जारी कर जरिये रजिस्टर्ड डाक अप्रार्थी को भिजवाया गया कि कुल बकाया 504741.00/–रूपये

जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल–तिजारा

(अक्षरेन पांच लाख चार हजार सात सौ इकतालिस रूपये मात्र) एवं इसका भविष्य का ब्याज एवं अन्य खर्चे सहित नोटिस की तारीख से 60 दिन में भुगतान करें। किन्तु समयावधि समाप्त होने के उपरान्त भी ऋण की अदायगी नहीं की गई। जिससे अप्रार्थी द्वारा अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं किया जाना स्पष्ट है। सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः सिक्यूरिटी के रूप में रखी गई सम्पत्ति फ्लेट नं0 7 B 27 सेक्टर नं0 4 एवं 7 अरावली विहार, भिवाडी तहसील टपूकडा स्थिति भूमि/भवन अन्तर्गत स्वामित्व कमलेश कुमार शर्मा पुत्र मुरलीधर का कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक को सम्भलवाने के आदेश दिए जाते हैं। निर्णय प्रति तहसीलदार टपूकडा को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि रहन रखी गई सम्पत्ति फ्लेट नं0 7 B 27 सेक्टर नं0 4 एवं 7 अरावली विहार, भिवाडी तहसील टपूकडा स्थिति भूमि/भवन अन्तर्गत स्वामित्व कमलेश कुमार शर्मा पुत्र मुरलीधर, को कब्जे में लेकर प्रार्थी बैंक को सम्भलवाया जावे। रहन रखी सम्पत्ति को दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा–31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेंवे तथा कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, भिवाडी को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय प्रति भिजवाई जावे। प्रार्थी बैंक कब्जा लेने की तिथि व समय से पुलिस अधीक्षक भिवाडी को सूचित करें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अ[illegible])
जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल–तिजारा
खैरथल–तिजारा (राज0)